विचार बिन्दु

महापुरुष वे ही होते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों के रंगों में रंगे जाने के बाद भी अपने व्यक्तित्व की पहचान को खोने नहीं देते। –मुक्ता

रामचरितमानस में समकालीन दर्शन

रामचरितमानस पर विगत शताब्दियों में असंख्य टीकाएँ, भाष्य और प्रवचन हुए हैं–किंतु उनमें अधिकांश या तो कथा–प्रवाह के रूप में सीमित रहे हैं, या केवल धार्मिक और भावनात्मक पक्ष को ही प्रतिध्वनित करते रहे हैं। समकालीन वैश्विक विमर्शों–जैसे मानव उत्कर्ष, आत्मबोध, नैतिक नेतृत्व, संज्ञानात्मक विज्ञान, प्रसन्नता का विज्ञान, प्रज्ञा का विज्ञान, जीवन में अर्थ की अनुभूति और नैतिक निर्णय का मनोविज्ञान आदि–के आलोक में मानस के सैद्धांतिक पद्यों की गूढ़ व्याख्या की जो आवश्यकता थी, वह अब तक उपेक्षित रही है। यह प्रस्तुति इस रिक्ति की पूर्ति का एक निष्ठावान प्रयास है–जिसमें तुलसीकृत पदों को आधुनिक मानव के बौद्धिक, नैतिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन से इस प्रकार जोड़ा गया है कि वे पूज्य रहकर भी प्रयोज्य बनें; केवल कथ्य न रहकर पथ्य बनें। ऐसी समन्वित, संवादधर्मी और तात्त्विक व्याख्या पूर्ववर्ती परंपरा में दुर्लभ है–और संभवत: पहली बार इस प्रकार के विमर्श में मानस को वैश्विक और समसामयिक अर्थ–स्तरों पर प्रतिष्ठित किया गया है।

नवोन्मेषी, तात्त्विक और समसामयिक दृष्टिकोण से की गई रामचरितमानस की यह व्याख्या आज के वैश्विक परिदृश्य में केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, नैतिक, पर्यावरणीय और वैश्विक शांति के स्तर पर भी एक गहन मार्गदर्शक बनकर उभरती है। आज जब विश्व समाज मानसिक स्वास्थ्य संकट, सामाजिक विषमता, आर्थिक असंतुलन, नैतिक भ्रम, पारिवारिक विघटन, पर्यावरणीय पतन और अंतरराष्ट्रीय तनावों के दौर से गुजर रहा है–तब मानस का यह पुनर्पाठ आत्मबोध, करुणा, अर्थपूर्ण जीवन और विवेकपूर्ण निर्णय की ओर एक ठोस सांस्कृतिक–सांवैधानिक सेतु प्रस्तुत करता है, जो मानव उत्कर्ष के समकालीन वैज्ञानिक प्रतिमानों से गहराई से मेल खाता है।

सामाजिक स्तर पर यह व्याख्यासम्मान, संवाद और समावेशिता के माध्यम से सामाजिक बंधुत्व और न्याय आधारित सह–अस्तित्व को पोषित करती है। आर्थिक क्षेत्र में यह सीमित उपभोग, नैतिक उत्पादन और सहकारी विकास की प्रेरणा देती है। पारिवारिक जीवन में यह स्नेह, श्रम और सम्मान के तंतु बुनती है, जो सामूहिक मानसिक स्वास्थ्य और आपसी विश्वास की आधारशिला बनाते हैं।

पर्यावरणीय दृष्टि से मानस की के माध्यम से पृथ्वी को धर्मस्वरूप मानने की चेतना को पुनर्स्थापित करती है–जो आधुनिक पारिस्थितिक नैतिकता और जलवायु न्याय से सीधे जुड़ती है। यह दृष्टि प्रकृति के साथ युद्ध नहीं, संवाद और संतुलन को प्राथमिकता देती है।

और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर–जहाँ युद्ध, उग्रवाद और सभ्यताओं के संघर्ष की आशंकाएँ गहराती जा रही हैं–रामचरितमानस की यह मानवतावादी व्याख्या परहित सरिस धरम नहिं भाई जैसे मूल्यों को विश्व चेतना में स्थापित कर सकती है। यह शांति केवल युद्धविराम नहीं, बल्कि अंत: शांति, सांस्कृतिक सहिष्णुता, और नैतिक कूटनीति के मार्ग से आती है। इस संदर्भ में मानस की यह प्रस्तुति वैश्विक शांति–निर्माण और संघर्ष–परिवर्तन के लिए एक नैतिक–दार्शनिक ढांचा प्रदान करती है।

इस प्रकार यह समन्वित व्याख्या रामचरितमानस को केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि 21वीं सदी की बहुआयामी वैश्विक चुनौतियों–मानवता, प्रकृति और विश्व व्यवस्था–के समाधान का एक जीवंत स्त्रोत बनाकर प्रस्तुत करती है। यह अतीत के शाश्वत सत्य को वर्तमान की भाषा में अनुवादित कर भविष्य की दिशा प्रस्तावित करती है–जहाँ आस्था और बौद्धिकता, परंपरा और नवोन्मेष, भारत और विश्व–एक ही संवाद में समाहित हो सकें।

रामचरितमानस केवल एक भक्तिग्रंथ नहीं, अपितु भारतीय चेतना की बहुलवर्णी धारा है, जिसमें शब्द केवल वर्ण नहीं, जीवित मूल्य बनकर प्रवाहित होते हैं। यह काव्य उस सांस्कृतिक आत्मा का साक्षात् रूप है, जो युगों–युगों से मानव को केवल ईश्वर की ओर नहीं, अपने भीतर की समष्टिगत दिव्यता की ओर ले जाती रही है। इसके पद्यरूप–दोहा, चौपाई, सोरठा और विविध छंद–जैसे विभिन्न स्तरों पर एक ही सत्य की बहुभाषिक अभिव्यक्ति हैं। उनमें कथा की सरलता, भावना की तीव्रता और सिद्धांत की गंभीरता का ऐसा त्रिवेणी–संगम है, जो मानस को केवल पाठ नहीं, प्रज्ञा, प्रेम और पुरुषार्थ का अद्वितीय प्रकाशपुंज बना देता है। इसीलिए, इस व्याख्या का ध्येय केवल व्याख्यान नहीं, आत्मसात् है–जिसमें हम मानस के सैद्धांतिक पद्यांशों को समकालीन दृष्टिकोण से देखने का साहस करें, और उन्हें जीवन में उतारने की दिशा प्राप्त करें।

रामचरितमानस की रचना केवल एक काव्य नहीं, अपितु एक समग्र जीवन–दर्शन है, जो भाषा, भक्ति और बुद्धि को समान रूप से आलोकित करता है। इसमें प्रयुक्त दोहे, चौपाइयाँ, सोरठे और छंद केवल भावनात्मक कविता नहीं हैं, वे अर्थ, भावना और दृष्टि के वाहक हैं। तुलसीदास ने इस ग्रंथ में ऐसी रचनात्मक संरचना की है जो कथा, भावना और सिद्धांत–तीनों को समान समर्पण से प्रस्तुत करती है। यदि हम इसकी पद्यिवन्यास को अंतर्वस्तु के आधार पर देखें, तो मोटे रूप में तीन प्रकार के पद्य–कथानक, भावप्रधान और सैद्धांतिक–स्पष्ट होते हैं।

रामचरितमानस की रचना केवल एक काव्य नहीं, अपितु एक समग्र जीवन-दर्शन है, जो भाषा, भक्ति और बुद्धि को समान रूप से आलोकित करता है। इसमें प्रयुक्त दोहे, चौपाइयाँ, सोरठे और छंद केवल भावनात्मक कविता नहीं हैं, वे अर्थ, भावना और दृष्टि के वाहक हैं। तुलसीदास ने इस ग्रंथ में ऐसी रचनात्मक संरचना की है जो कथा, भावना और सिद्धांत-तीनों को समान समर्पण से प्रस्तुत करती है।

कथानक अंशों में रामकथा के विविध प्रसंग–जैसे श्रीराम का जन्म, वनगमन, युद्ध और राज्याभिषेक–का प्रवाह होता है। ये चौपाइयाँ कथा की गति को वहन करती हैं, पर वे केवल घटनाओं का विवरण नहीं, नैतिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती हैं। ये पद्य आज के समय में लोकहितकारी नेतृत्व जैसे विचारों को प्रत्यक्ष या प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करते हैं।

भावप्रधान अंश मानस की आत्मा हैं। ये वे पद्य हैं जो श्रद्धा, प्रेम, करुणा, त्याग और भक्ति जैसे भावों को गहराई से स्पर्श करते हैं। ये केवल भक्तिपूर्ण अभिव्यक्तियाँ नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण और आत्म–दया की उस परंपरा से जुड़ी हैं जो आज मानसिक स्वास्थ्य, आत्म–सम्मान और आत्म–स्वीकृति के विमर्शों में अत्यंत प्रासंगिक मानी जाती है।

परंतु सबसे महत्वपूर्ण, और आज के संदर्भ में अत्यंत उपयोगी, मानस के सैद्धांतिक पद्य हैं। यहीं वह गूढ़ तत्व प्रकट होता है जो रामचरितमानस को एक सार्वकालिक जीवन–संहिता बना देता है। इन अंशों में तुलसीदास ने वैदिक ज्ञान, उपनिषदों की तत्वमीमांसा, भक्ति–सूत्रों की भावना और योगदर्शन की मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों को अत्यंत सरल अवधी भाषा में प्रस्तुत किया है। यह केवल आध्यात्मिक अनुभूति नहीं, बल्कि संज्ञानात्मक–भावनात्मक आरोपण का सूत्र है–जिससे यह समझा जा सकता है कि व्यक्ति जैसा सोचता है, वैसा ही अनुभव करता है। उसकी चेतना जिस प्रकार ढली होती है, उसी प्रकार उसका ईश्वर, संसार और स्वयं का बोध निर्मित होता है।

इन सैद्धांतिक अंशों को समकालीन संदर्भ में समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज मानवता केवल बाह्य संसाधनों से नहीं, आंतरिक क्षमताओं से भी संघर्ष कर रही है। आज का वैश्विक विमर्श मानव उत्कर्ष की ओर उन्मुख है, जिसमें केवल शारीरिक या आर्थिक सफलता नहीं, बल्कि भावनात्मक संतुलन, आत्मबोध, नैतिक स्पष्टता, संबंधबुद्धि और उद्देश्यपरक जीवन को मिलाकर समग्र जीवन की परिकल्पना की जाती है। रामचरितमानस के सैद्धांतिक पद्य इसी दिशा में सूक्ष्म और प्रासंगिक मार्गदर्शन देते हैं।

नीतिपरक कथनों में संबंधों की परीक्षण–क्षमता, गुणधर्म आधारित नैतिकता और संकट में धैर्य एवं दृढ़ता जैसे तत्त्व अंतर्निहित होते हैं–जो आज के नेतृत्व और मनोविज्ञान के केंद्र में हैं। ये केवल आदर्श स्थापित नहीं करते, बल्कि मूल्याधारित प्रतिक्रिया को संभव बनाते हैं।

इसी प्रकार समावेशी चेतना और गहन सहानुभूति जैसी अवधारणाएँ, जो आज के वैश्विक नैतिक विमर्श का आधार हैं, मानस के उन सूत्रों में सहजता से व्यक्त होती हैं जहाँ प्रत्येक प्राणी को राममय देखा जाता है। यह दृष्टि केवल धार्मिक सहिष्णुता नहीं सिखाती, बल्कि आंतरिक गरिमा और सार्वभौमिक सम्मान का अभ्यास कराती है।

समकालीन वैश्विक दर्शन में भी वही अंतर्दृष्टियाँ अब पुन:प्रगट हो रही हैं–जैसे अस्तित्ववादी मनोविज्ञान में अर्थ–रचनाकी भूमिका, सकारात्मक मनोविज्ञान में कृतज्ञता, करुणा और उद्देश्य, तंत्रिका–विज्ञान में ध्यानात्मक अवस्थाओं द्वारा मानसिक लचीलापन,और सार्वजनिक नैतिकता में गरिमा–आधारित नेतृत्व आदि हैं। रामचरितमानस के सैद्धांतिक पद्य इन सभी से गहन संवाद करते हैं–उनसे टकराते नहीं, बल्कि उन्हें नवाचारी, कल्याणकारी और पूरक दृष्टि प्रदान करते हैं।

इसलिए जब मैं रामचरितमानस के सैद्धांतिक अंशों की समकालीन व्याख्या करता हूँ, तो मेरा उद्देश्य केवल परंपरा का अनुकरण करना नहीं, बल्कि संवादात्मक ज्ञान का अभ्यास करना है। यह प्रयास इस विश्वास से प्रेरित है कि मानस न तो केवल पूज्य ग्रथ है, न केवल सांस्कृतिक स्मृति है। यह एक जीवंत जीवन–व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति की चेतना, उसका चरित्र और उसका समुदाय–तीनों के लिए गहरा मार्गदर्शन समाहित है। यदि हम इसे केवल पूजेंगे, तो यह मूर्ति बनकर रहेगा। यदि इसे समझेंगे, तो यह दर्पण बनेगा। और यदि इसे जीएँगे, तो यह जीवन–पद्धति बन जाएगा–जिससे न केवल व्यक्ति, बल्कि समाज और संस्कृति–तीनों स्पष्टता, श्रद्धा और विवेक के साथ समृद्ध हो सकेंगे। यही मानस का समकालीन और वैश्विक सत्य है।

आज जब मानवता बाह्य साधनों की प्रचुरता और आंतरिक दिशाहीनता–दोनों के द्वंद्व में उलझी हुई है, तब रामचरितमानस के सैद्धांतिक अंश हमें स्थायित्व,विवेक और करुणा की पुन:स्थापना का आव्हान करते हैं। यह ग्रंथ हमें स्मरण कराता है कि अध्यात्म केवल सन्यास नहीं, अपितु संलग्न कर्म में सार्थकता की खोज है; कि भक्ति केवल भावुकता नहीं, अपितु समर्पित विवेक का नाम है; और कि जीवन की प्रत्येक चुनौती–चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक–उसकी गूंज मानस की किसी चौपाई में पूर्वाभासित है। जब हम इन गूढ़ पद्यों को समकालीन संदर्भ में समझते हैं, तो न केवल ग्रंथ जीवंत होता है, बल्कि हम स्वयं भी अधिक जागरूक, उत्तरदायी और करुणाशील मानव बनते हैं। यही रामचरितमानस की सार्वकालिक और सार्वभौमिक विजय है–कि वह समय के साथ, हर युग के साथ और अधिक प्रासंगिक हो उठता है।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ. दीप नारायण पाण्डेय,
(इंडियन फारेस्ट सर्विस से सेवानिवृत्त, वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर)
(यह लेखक के निजी विचार हैं और 'सार्वभौमिक कल्याण के सिद्धांत' से प्रेरित हैं।)

क्या सुप्रीम कोर्ट विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्देश दे सकता है?

सूर्यप्रताप सिंह राजावत

संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य एक विस्तारित लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना था। इसे संविधान संशोधन 131वां विधेयक, 2026 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस संशोधन विधेयक के समर्थन में वोटों की संख्या कम रह गई, जिसके कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका; फलस्वरूप, सत्ताधारी दल के प्रयासों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए। मीडिया और अदालतों के गलियारों में अब यह चर्चा ज़ोरों पर है कि जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के परमादेश (Writ of Mandamus) द्वारा अब इस आरक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण (20 प्रतिशत चुनाव के ज़रिए + 10 प्रतिशत मनोनीत सदस्य) का आदेश अब एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के लोगों के सामने यह सवाल उठता है कि क्या इसी व्यवस्था को दूसरी जगहों पर भी लागू किया जा सकता है या नहीं। इन दोनों उदाहरणों में क्या फ़र्क है–एक तरफ़ बार काउंसिल में सीटों का आरक्षण, और दूसरी तरफ़ विधायिका (जिसमें राज्य विधानसभाएँ और संसद शामिल हैं) में सीटों का आरक्षण? इन दोनों को ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) माना जाता है।

उपर्युक्त संदर्भ हमें भारत के संविधान के पहले संशोधन की याद दिलाता है, जब आरक्षण नीति को चंपाकम दोराईराजन नामक एक महिला ने चुनौती दी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की उस विवादित नीति को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि भारत के संविधान में महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई हेतु कोई स्पष्ट प्रावधान या सक्षम खंड (enabling clause) मौजूद नहीं था। संविधान में पहले संशोधन के ज़रिए, अनुच्छेद 15(4)को जोड़ा गया, ताकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके; इस कदम ने महिलाओं पर केंद्रित आरक्षण या सकारात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाने में मदद की।

बार काउंसिल में महिलाओं के लिए आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का असर, एडवोकेट्स एक्ट 1961 में संशोधन के बराबर है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसे निर्देश जारी किए जा सकते हैं? क्या यह संसद की विधायी शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं है? इसे शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के सिद्धांत का घोर उल्लंघन माना जाता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तीन–न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए देवकी नंदन अठावाल मामले (AIR 1992 SC 96) का उल्लेख करना उचित होगा, जो एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, न्यायिक संयम (judicial restraint) का पालन करते हुए अदालतों की भूमिका को समझने में सहायक है। इसमें यह टिप्पणी की गई थी:–

जब किसी प्रावधान की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध हो, तो कानून के दायरे या विधायिका के आशय का विस्तार करना अदालत का कर्तव्य नहीं है। अदालत कानून को फिर से नहीं लिख सकती, उसका स्वरूप नहीं बदल सकती या उसे नए सिरे से नहीं गढ़ सकती; इसका सीधा सा कारण यह है कि उसके पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है। कानून बनाने की शक्ति अदालतों को प्रदान नहीं की गई है। अदालत किसी कानून में ऐसे शब्द न तो जोड़ सकती है और न ही ऐसे शब्दों का अर्थ निकाल सकती है, जो उसमें मौजूद ही न हों। यदि यह मान भी लिया जाए कि विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों में कोई दोष या चूक रह गई है, तो भी अदालत उस कमी को सुधारने या उसकी भरपाई करने के लिए अपनी ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालतों का कार्य यह तय करना है कि कानून क्या है, न कि यह तय करना कि कानून कैसा होना चाहिए। नि:संदेह, अदालत कानून की ऐसी व्याख्या अपनाती है जो विधायिका के स्पष्ट आशय को पूरा करती हो, परंतु वह स्वयं कानून नहीं बना सकती। किंतु, विधायिका के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए न्यायिक सक्रियता (judicial activism) का सहारा लेना, संवैधानिक सामंजस्य और विभिन्न संस्थाओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए अत्यंत हानिकारक है।

बार काउंसिल में महिलाओं के लिए आरक्षण का यह आदेश कोई बाध्यकारी मिसाल नहीं है। इसे सब साइलेंशियो (sub silentio) कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह एक ऐसा निर्णय या नियम है जिसे बिना किसी औपचारिक चर्चा के, मौन रूप से स्वीकार कर लिया गया हो। यह हमें जीत एस. बिष्ट मामले (2007 6 एण्ण 586) की याद दिलाता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने यह टिप्पणी की थी कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामले (1993 4 SCC 288) में दिया गया निर्णय सब साइलेंशियो था। इसमें यह टिप्पणी की गई थी:

16. हमने उपरोक्त निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हम इस निर्णय में की गई उन टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हैं कि न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन और भत्ते मिलने चाहिए, ताकि वे निष्पक्ष होकर और स्वतंत्र मन से कार्य कर सकें; परंतु हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि उस निर्णय ने कानून का ऐसा कोई सिद्धांत स्थापित किया है, जिसके अनुसार न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें न्यायपालिका द्वारा ही निर्धारित की जानी चाहिए।

17. न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें या तो संविधान द्वारा निर्धारित की जाती हैं (उदाहरण के लिए, सेवानिवृत्ति की आयु और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन), अथवा विधायिका या कार्यपालिका द्वारा। वास्तव में, पूरे विश्व में यही स्थिति प्रचलित है।

18. इसमें कोई संदेह नहीं कि उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्देश दिए गए थे; परंतु हमारी राय में, ऐसा बिना किसी चर्चा के किया गया था–अर्थात् इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई थी कि क्या न्यायालय द्वारा ऐसे निर्देश वैध रूप से दिए भी जा सकते हैं या नहीं। अत:, वह निर्णय सब साइलेंशियो के रूप में पारित हुआ था।

बार काउंसिल में महिलाओं के लिए आरक्षण के आदेश में कोई रेशियो डिसीडेंडी (निर्णय का आधार) नहीं है, सिवाय संवैधानिक भावना और महिला सशक्तिकरण के नेक उद्देश्य के एक सरसरी ज़िक्र के। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय है। लेकिन कानून के शासन का सिद्धांत यह दर्शाता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता।

अब, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यह निर्णय–जो चुपके से (sub silentio) पूर्व–निर्णय के सिद्धांत (doctrine of precedent) का उल्लंघन करता है–भारत में महिला सशक्तिकरण के आंदोलन के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करेगा? ईमानदारी से आत्म–निरीक्षण की आवश्यकता है कि लक्ष्य और साधन दोनों ही नेक और वैध होने चाहिए, और साथ ही संवैधानिक नैतिकता को भी बनाए रखने वाले होने चाहिए। क्या न्यायपालिका का हिस्सा होने से कोई ऐसी विशेष स्थिति मिल जाती है कि सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) हासिल करने के लिए बुनियादी न्यायशास्त्र को ही ताक पर रख दिया जाए? इसने न्यायिक अनुशासन, न्यायिक औचित्य और न्यायिक संयम के लिए किस तरह का उदाहरण पेश किया है? इसकी सीमाएँ कहाँ हैं? इसने सकारात्मक कार्रवाई के नाम पर न्यायिक सक्रियता का एक बुरा उदाहरण पेश किया है।

चंपकम दोराइराजन (1951) के उस दौर से, जब आरक्षण नीति को संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप न होने के आधार पर चुनौती दी गई थी, लेकर आज के उन निर्देशों तक–जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन के समान हैं–आखिर क्या बदलाव आया है? इसका जवाब उत्साहजनक नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि न्यायिक संयम, न्यायिक अनुशासन और न्यायिक औचित्य का ह्रास, क्षरण और कमज़ोरी हुई है। उन लोगों के सामने एक वाजिब सवाल है जो महिलाओं के उत्थान के पक्षधर हैं और महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं: क्या सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण के उस महान उद्देश्य–जिसे अक्सर सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) कहा जाता है–के नाम पर, विधायिका में आरक्षण के निर्देश जारी करने का साहस करेगा?

–सूर्यप्रताप सिंह राजावत,
अधिवक्ता, राजस्थान उच्चन्यायालय, जयपुर

शाहपुरा : सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया

शाहपुरा, (निसं)। त्रिवेणीधाम में शनिवार को श्रीयादे प्रजापति सामूहिक विवाह समिति के तत्वावधान में खोजीद्वाराचार्य रामरिछपालदास महाराज के सान्निध्य में 13वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। विवाह सम्मेलन में 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर जीवनसाथी बने। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक मनीष यादव, भाजपा नेता उपेन यादव, सामाजिक कार्यकर्ता सिमरन बाई किन्नर, पूर्व विकास अधिकारी महावीर प्रसाद, पूर्व चेयरमैन सुनीता प्रजापत, डॉ. भोमराज कुमावत व विहिप के मुकेश कुमावत मौजूद रहे। अध्यक्षता भामाशाह धर्मपाल ठेकेदार ने की।

- **कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री कुमावत ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आव्हान किया**
- **वर-वधु को अलमारी, बेड, एलईडी, सिलाई मशीन, आभूषण, आदि सामान भेंट किया गया**

कार्यक्रम में अतिथियों का माल्यार्पण, साफा शॉल व रामलला की तस्वीर भेंटकर अभिनंदन किया।

जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह गुर्जर धर्मशाला से दूल्हों को घोड़ी पर बैठाकर बारात निकाली गई, जो यादव धर्मशाला पहुंची। यहां तोरण व फेरों की रस्में संपन्न करवाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री कुमावत ने कहा कि बड़े आयोजनों में खर्च कम कर बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईटी और एआई के इस दौर में शिक्षा का महत्व और बढ़ गया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री कुमावत ने युवाओं से नशे से दूर रहने का आव्हान किया। विधायक मनीष यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज की एकजुटता और सद्भाव का प्रतीक हैं, जो कमजोर वर्ग को भी सहारा देते हैं। भाजपा नेता उपेन यादव ने समाज के लोगों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। महामंडलेश्वर बनारसीदास महाराज ने भी वर–वधु को आशीर्वाद प्रदान किया। समिति अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण खेजरोली, शंकरलाल, गोपाल, सूबेसिंह, मूलचंद, रघुनाथ, श्यामसुंदर, प्रभुदयाल, लीलाराम, बाबूलाल, प्रहलाद सहाय, बनवारी, जमनलाल, मक्खन लाल, पूरणमल, महिपाल, मंगलचंद, गणपत, नाथूराम, मुकेश प्रजापत आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण व साफा शॉल व रामलला की तस्वीर भेंटकर अभिनंदन किया। समारोह में वर–वधु को अलमारी, बेड, एलईडी, सिलाई मशीन, सोने–चांदी के आभूषण, पंखे सहित विभिन्न प्रकार का सामान समिति व भामाशाहों की ओर से भेंट किया गया।

नोखा, देशनोक में बूंदाबांदी से तापमान गिरा

नोखा, (निसं)। तहसील क्षेत्र में शनिवार को मौसम का मिजाज बदल गया। शाम करीब 4 बजे आसमान में घने बादल छा गए और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया।

शनिवार सुबह से ही क्षेत्र में तेज गर्म हवाएं (लू) चल रही थी, जिससे बाजारों और सड़कों पर चहल–पहल कम रही। दोपहर तक गर्मी अपने चरम पर थी और लोग घरों में रहने को मजबूर थे। हालांकि, दोपहर बाद मौसम बदलने और बादलों के छाने से लोगों ने राहत की सांस ली।

ग्रामीण इलाकों में भी इस मौसम परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव देखा गया। किसानों और पशुपालकों ने इसे राहत भरा बताया। हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं ने वातावरण को संतुलित करने में मदद की। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी आंशिक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से और राहत मिल सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और बदलते मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या में सावधानी बरतने की सलाह दी है।

देशनोक क्षेत्र में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद मौसम ने करवट ली है। शुक्रवार रात और शनिवार को हुई बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार रात को हल्की बारिश हुई थी, जिसके बाद शनिवार को भी दिन में बूंदाबांदी देखने को मिली। सुबह जहां तेज गर्मी का असर था, वहीं दोपहर बाद अचानक आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई।

राशिफल रविवार 26 अप्रैल, 2026

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, रविवार, विक्रम संवत 2083, मघा नक्षत्र रात्रि 8:27 तक, वृद्धि योग रात्रि 10:28 तक, तैतिल करण प्रात: 6:17 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–मेष, चन्द्रमा–सिंह, मंगल–मीन, बुध–मीन, गुरू–मिथुन, शुक्र–वृष, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

आज यमघट योग सूर्योदय से रात्रि 8:27 तक है। रवियोग रात्रि 8:27 तक रहेगा। आज श्री महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान (जैन)।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 7:34 से 9:11 तक, लाभ–अमृत 9:11 से 12:25 तक, शुभ 2:02 से 3:39 तक।

राहूकाल: 4:30 से 6:00 तक। सूर्योदय 5:57, सूर्यास्त 6:52

मेष

परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच–विचार हो सकता है। धन खर्च पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

सिंह

अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा।

धनु

धार्मिक–मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृष

घर–परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कन्या

घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। समय अनर्गल कार्यों में खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। परिवार में वाद–विवाद हो सकते हैं।

मकर

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। खान–पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मिथुन

परिवार में शुभ–मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। आज महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज मित्रों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

तुला

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आवश्यक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

कुंभ

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कर्क

धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

वृश्चिक

अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

मीन

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी।